निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ 1933 (श0)

(सं0 पटना 46) पटना, बुधवार, 1 फरवरी 2012

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

13 जनवरी 2012

सं0 22/नि0सि0(मुक0)–मुज0–19–13/2007/25––श्री अरूण कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बागमती प्रमण्डल, शिवहर को दिनांक 1.7.95 की सुबह 5.30 बजे कोठिया ग्राम के नजदीक बागमती दायॉ तटबंध टुटने, कार्यस्थल से गायब रहने, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने एवं सरकारी आदेश की अवहेलना करने संबंधी प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0 201, दिनांक 18.7.95 द्वारा विभागीय कार्यवाही की परिसमाप्ति तक निलंबित किया गया। उनके विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञाप सं0 1413, दिनांक 21.7.95 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में जॉच पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्व आरोप प्रमाणित पाये गये। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर हुई और सरकार द्वारा श्री सिन्हा, सहायक अभियन्ता की सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में उनसे विभागीय पत्र सं0 401, दिनांक 4.3.96 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। प्राप्त उत्तर की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर हुई जिसमें उनके विरूद्व निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गये हैः–

''कोठिया ग्राम के नजदीक बागमती दायॉ तटबंध 01.07.95 को लगभग 5.30 बजे सुबह टूटी। पहले ब्रीच 25 फीट था जो दिनांक 4.7.95 को 2500 फीट हो गया। लगभग 40 हजार लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए। कार्यपालक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता साईट छोड़कर अनुपस्थित थे तथा लापरवाही बरते एवं सरकारी आदेशों की अवहेलना की।''

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिन्हा, सहायक अभियन्ता (निलंबित) को सरकार द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए निम्नलिखित दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः–

(क) ''निन्दन'' की सजा जिसकी प्रविष्टि उनकी वर्ष 95–96 को चारित्री में होगी।

(ख) तीन वेतन–वृद्वियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ग) निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा किन्तु पेंशन के प्रयोजनार्थ इस अवधि की गणना की जाएगी एवं वेतन–वृद्वि में इस अवधि की गणना की जायेगी।

उक्त निर्णय श्री सिन्हा, सहायक अभियन्ता को निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय आ0सं0 169–सह–ज्ञाप सं0 402, दिनांक 13.2.99 से संसूचित किया गया।

उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री सिन्हा द्वारा दिनांक 30.8.05 को एक अपीलीय अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा से प्राप्त अपीलीय

अभ्यावेदन में कोई ऐसा तथ्य नहीं पाया गया, जिसके आधार पर पुर्नविचार की आवष्यकता हो। अतएव श्री सिन्हा से प्राप्त अपीलीय अभ्यावेदन को सरकार द्वारा अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार उक्त निर्णय श्री सिन्हा को विभागीय पत्र सं0–932, दिनांक 11.9.06 से संसूचित किया गया।

उक्त विभागीय दण्डादेश एवं अपील अस्वीकृति संबंधी आदेष के विरुद्व श्री अरूण कुमार सिन्हा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक समादेश याचिका सं0–5605/07 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त वाद में दिनांक 14.11.11 को न्याय निर्णय पारित किया गया, जिसमें विभागीय दण्डादेश सं0–169 सह ज्ञाप सं0 402, दिनांक 13.2.99 एवं अपील अस्वीकृति पत्रांक 932, दिनांक 11.9.06 को रद्द कर दिया गया एवं वादी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में दिये गये जबाव में उठाये गये बिन्दूओं पर पुनर्विचार करते हुए न्यायादेश प्राप्ति के दो माह के अन्दर निर्णय लेने हेतु मामला अनुशासनिक प्राधिकार को वापस कर दिया गया।

पारित न्याय निर्णय के आलोक में पुरे मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त न्यायादेश के अनुपालन का निर्णय लिया गया है। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री सिन्हा से संबंधित दण्डादेश सं0 169–सह–ज्ञाप सं0 402, दिनांक 13.2.99 एवं अपील अस्वीकृति से संबंधित पत्रांक 932, दिनांक 11.9.06 को इस शर्त के साथ निरस्त किया जाता है कि इस मामले में श्री सिन्हा द्वारा पूर्व में समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में उठाये गये बिन्दुओं की समीक्षा एवं भविष्य में सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय एवं फलाफल से यह आदेश प्रभावित होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 46-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in